Skill Development & Industrial Training Directorate, Haryana
Plot No, 2, Sector-3, Near Majri Chowk, Panchkula

सेवा में

सभी प्रधानाचार्य / वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज / वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज(महिला)
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एंव राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(महिला)

यादी कमांक टी–2 / दाखिला / 2018–19 / 17917 दिनांकः 4.9.18

विषयः सत्र 2018–19 के 6th काउंसलिंग का दाखिला कार्यक्रम।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

डी0जी0टी0 भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार राजकीय एंव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला 24 सितम्बर तक किया जाना है। अतः विभाग द्वारा 6th चरण का दाखिला किया जाना है तथा यह दाखिला मैरिट के आधार पर किया जायेगा। इस दाखिला चरण में सभी रिक्त सीटें सामान्य वर्ग में उपलब्ध होंगी तथा कोई आरक्षण मान्य नहीं होगा। यह दाखिला पूर्णतयाः मैरिट के आधार पर किया जायेगा तथा इस दाखिले के लिये सीट अलाटमेंट आनलाईन दाखिला पोर्टल पर चौथी / पांचवी काउंसलिग की तरह संस्थान स्तर पर ही की जायेगी। संस्थानवार रिक्त सीटों की संख्या पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। सभी पुराने एंव नये आवेदनकर्ताओं को दाखिला पोर्टल से मैरिट कार्ड उपलब्ध करवाया जायेगा जिस पर प्रार्थी के प्राप्त अंकों में वैटेज (यदि कोई हो तो) को जोडते हुये कुल प्रतिशत अंक दर्शाए जायेगें। मैरिट कार्ड पर कोई रैंक प्रदर्शित नहीं की जायेगी। दाखिले के लिये प्रतिदिन संस्थान में प्रातः 11.00 बजे तक रिपोर्ट करने वाले प्रार्थियों के मैरिट कार्ड जमा करवाते हुये संस्थान स्तर पर मैरिट अनुसार सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रार्थी को दाखिले में वरीयता प्रदान करते हुये मैरिट के आधार पर दाखिला किया जायेगा। दाखिला कार्यक्रम का विवरण निम्नप्रकार से हैः

दाखिला पोर्टल पर नये आनलाईन दाखिला फार्म भरने एंव दाखिला पोर्टल पर मैरिट कार्ड जारी होने व दाखिले हेतू संस्थान में रिपोर्ट करने की अवधि :	05 से 24 सितम्बर 2018

दाखिले के मुख्य बिन्दू निम्नप्रकार से होगेंः

1. दिनांक 05 से 24 सितम्बर के बीच तथा दाखिला सत्र 2018–19 के लिए पूर्व में किए गये सभी नये आवेदन 6th Counseling के लिये मान्य होगें। प्रार्थी अपना फार्म भरने उपरांत अपना मैरिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है तथा दाखिला कार्यक्रम अनुसार अपनी पसंद के किसी भी संस्थान में दाखिले के लिये रिपोर्ट कर सकता है।

2. संस्थानों को दाखिला पोर्टल पर दाखिला रद्द करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा ताकि वे लगातार अनुपस्थित एंव रिपोर्ट न करने वाले छात्र / छात्राओं के प्रति विभागीय नियमानुसार कार्यवाही करते हुये ऐसे छात्र / छात्राओं का नाम दाखिला पोर्टल से काट सकें एंव इन सीटों के प्रति दाखिला कर सकें।

किसी भी व्यवसाय में दाखिला उस व्यवसाय की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सभी मूल प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच पडताल के पश्चात ही किया जायेगा। यदि किसी छात्र / छात्रा का त्रुटिपूर्ण दाखिला हो जाता है तो इसके लिये संस्थान का मुखिया स्वंय अपने स्तर पर इसे रद्द कर सकता है। रद्द किये गये त्रुटिपूर्ण दाखिले का पूर्ण रिकार्ड संस्थान में रखा जायेगा तथा दाखिला रद्द करने की पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान के मुखिया की होगी।

निदेशालय के पत्र दिनांक 6.8.2018 द्वारा जारी हिदायतों अनुसार नियमित कक्षाएं 16.08.2018 से ही जारी रहेगीं तथा इसमें काई बदलाव नहीं किया गया है।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–5) 04/09/18
कृतेःनिदेशक,कौशल विकास एंव औद्योगिक प्रशिक्षण
विभाग, हरियाणा।

पृ0कमांकः टी–1 / दाखिला / 2018–19 / 17918 दिनांकः 4.9.18

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः

1. अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)
2. संयुक्त निदेशक (प्राइवेट आई.टी.आई.)
3. नियंत्रक परीक्षा
4. नोडल अधिकारी बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. We-excel Software Pvt. Ltd. को निर्देश दिये जाते हैं कि वह दाखिला कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर समय रहते आवश्यक संशोधन करें तथा डाउनलोड किये जाने वाले मैरिट कार्ड का प्रारूप चैक करवाएं। इस दाखिला चरण में सीट अलाटमेंट संस्थान स्तर पर की जानी है।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–5) 04/09/18
कृतेःनिदेशक,कौशल विकास एंव औद्योगिक प्रशिक्षण
विभाग, हरियाणा।